# बिहार सरकार

*मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग*

:: **संकल्प** ::

संकल्प सं0–3/सी0 एस0/एम0–703/2011 ....298..../पटना–15, दिनांक–....27/4/2012

विषय :– **बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं में संशोधन के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभावों, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–502, दिनांक–08.03.2007 द्वारा किया गया है। उक्त संकल्प में वेतन, आतिथ्य भत्ता, दैनिक भत्ता एवं निजी कार से यात्रा की दरों का निर्धारण वर्ष 2007 में किये जाने के कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

2. उक्त संकल्प के अनुसार ऐसे महानुभावों को निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया जाना था। परन्तु आवास की अनुपलब्धतता की स्थिति में आवास भत्ता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे महानुभावों को एक वाहन भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसमें इंधन की अधिसीमा 250 लीटर प्रतिमाह निर्धारित है। परन्तु वाहन के प्रकार तथा विभाग से वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ऐसे महानुभावों को मोबाईल की सुविधा भी अनुमान्य नहीं है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को देय सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–502, दिनांक–08.03.2007 में निम्नप्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया है :–

(क) **वेतन** : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को पूर्व से प्राप्त वेतन रू0 8000 (आठ हजार) प्रति माह के स्थान पर रू0 25,000 (पच्चीस हजार) प्रति माह वेतन देय होगा।

(ख) **आतिथ्य भत्ता** : मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को निम्न प्रकार से आतिथ्य भत्ता प्रत्येक माह देय होगा :–

| क्र०सं० | कोटि | | पूर्व से प्राप्त | | वर्त्तमान में संशोधित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मंत्री | – | 10,000 रू0 (दस हजार रू0) | – | 18,000 रू0 (अठारह हजार रू0) |
| 2. | राज्य मंत्री | – | 8,000 रू0 (आठ हजार रू0) | – | 17,500 रू0 (सत्रह हजार पाँच सौ रू0) |
| 3. | उप मंत्री | – | 6,000 रू0 (छः हजार रू0) | – | 17,000 रू0 (सत्रह हजार रू0) |

(ग) **सरकारी कर्त्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा** : निजी कार से सड़क मार्ग से सरकारी कर्त्तव्य के लिए यात्रा हेतु पूर्व से अनुमान्य रू0 10 (दस) प्रति किलो मीटर के स्थान पर रू0 15 (पन्द्रह) प्रति किलो मीटर की दर से यात्रा भत्ता देय होगा।

(घ) **दैनिक भत्ता** : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को पदावधि पर्यन्त पूर्व से देय रू0 500 (पाँच सौ) प्रति दिन के स्थान पर रू0 1,000 (एक हजार) प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।

(ङ.) **आवास की सुविधा** : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों द्वारा सरकारी आवास का उपभोग नहीं करने की स्थिति में उन्हें वेतन, आतिथ्य भत्ता एवं दैनिक भत्ता मद में देय कुल राशि का 20 (बीस) प्रतिशत प्रति माह आवास भत्ते के रूप में देय होगा।

(च) **वाहन की सुविधा** : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को एक ए0 सी0 वाहन (पूर्ववत प्रति माह 250 लीटर अधिकतम इंधन की सीमा तक) सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन अनुपलब्धता की स्थिति में एक ए0 सी0 एम्बेसडर कार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा एम्बेसडर कार के लिए निर्धारित दर के अन्दर एक ए0 सी0 वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 3,000 (तीन हजार) किलो मीटर होगी।

(छ) **दूरभाष की सुविधा** : मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को कार्यालय एवं आवास पर एक–एक दूरभाष की सुविधा के अतिरिक्त मोबाईल रिचार्ज के लिए प्रति माह अधिकतम रू0 1,000 (एक हजार) देय होगा।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–502, दिनांक–08.03.2007 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संकल्प के शेष अंश यथावत रहेंगे।

5. यह संशोधन 01.05.2012 से प्रभावी होगा।

**आदेश** : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय साथ ही सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

27.04.2012
(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–...................... पटना–15, दिनांक ................ 2012

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.04.2012
(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Section3\RajKumarji.doc

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–298 पटना–15, दिनांक 27/4/2012

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27.04.2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–298 पटना–15, दिनांक 27/4/2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

27/4/12

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–298 पटना–15, दिनांक 27/4/2012

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिमंडल के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/04/2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Section3\RajKumarji.doc